न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 69 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 117

1. राजाराम पुत्र बुधराम निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. सविन्द्र सिंह उर्फ सलविन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़
2. सतपाल सिंह पुत्र
3. अंग्रेज सिंह पुत्र
4. अमृतपाल सिंह पुत्र
5. सलवेन्द्र कौर पत्नी

   सविन्द्र सिंह उर्फ सलविन्द्र सिंह निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर
6. जसवीर कौर पत्नी सतपाल सिंह निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़
7. अमनदीप कौर पत्नी अमृतपाल सिंह निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़
8. अमन कौर पत्नी अंग्रेज सिंह निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

1. श्री हरेन्द्र सिंह शेखों, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री साहबराम, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 09.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थी के द्वारा जरिए अधिवक्ता यह अवमानना याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा न्यायालय में एक निगरानी सं. 01 / 2024 अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचा. अधि. सविन्द्र सिंह बनाम भूपराम आदि प्रस्तुत की थी जिसके साथ स्थगन प्रा.पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा तलब किऐ जाने पर प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित आए। प्रार्थी व उसके भाई ने स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा बहस सुने जाने के उपरांत आदेश दिनांक 17.05.2024 के जरिए स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जिसमें न्यायालय ने आदेश पारित किये कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि उीायपक्ष निगरानी के निस्तारण तक विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत 48 एनपी बगीचा की आबादी ग्राम 53 एनपी के भूखण्ड सं. 55 की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। उक्त स्थगन आदेश पारित होने के उपरांत अप्रार्थीगण दिनांक 23.05.2024 को रात्रि के समय विवादित प्लाट की चार दीवारी को तोड़ कर प्लाट में घुस आऐ तथा प्लाट में रखे हुए दो लोहे के गाडर, दो बटठल, एक कस्सी चारी कर ले गऐ तथा मौका पर चारदीवारी को काफी जगह से तोड दिया। जिस बाबत अप्रार्थीगण के खिलाफ पुलिस थाना समेजाकोठी में एफआईआर सं. 115 / 2024 अन्तर्गत धारा 447, 427, 379, 143 आईपीसी दर्ज करवाई गई। विवादित प्लाट पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण ने पूर्व में न्यायालय सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर में विविध दीवानी प्र.सं. 35 / 2023 इसी विवादित प्लाट बाबत दायर किया था। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.08.2023 के जरिए किया व अप्रार्थी सविन्द्र सिंह का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह निर्धारित किया कि विवादित अहाता पर सविन्द्र सिंह उर्फ सलविन्द्र सिंह अपना कब्जा दर्शित नहीं कर पाया है। उक्त आदेश के खिलाफ अप्रार्थी सविन्द्र सिंह के द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

रायसिंहनगर के समक्ष अपील दायर की गई जिसमें आदेश दिनांक 30.01.2024 के जरिए अपील खारिज की गयी। अप्रार्थी सविन्द्र सिंह ने उक्त भूखण्ड जरिए रजि. बैयनामा दिनांक 17/18.01.1996 भूपराम को बेचान किया था जिसके उपरांत भूपराम द्वारा जरिए रजि. बैयनामा दिनांक 30.11.2009 को अपने भाई राजाराम को बेचान कर दिया गया। राजाराम ने जरिए बैयनामा दिनांक 01.02.2019 उक्त अहता रमेश कुमार को बेचान कर दिया। अप्रार्थी सविन्द्र सिंह द्वारा निष्पादित रजि. बैयनामा दिनांक 17/18.01.1996 में उसके द्वारा स्पष्ट तौर पर अंकित करवाया गया है कि विक्रितशुदा भूखण्ड का कब्जा क्रेता भूपराम को संभलवा दिया गया है। उक्त बैयनामा एवं सिविल न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में यह तथ्य भलीभांति साबित है कि अप्रार्थीगण का विवादित भूखण्ड पर कब्जा नहीं था। सविन्द्र सिंह के स्वामित्व में चक 53 एनपी आबादी का अहाता सं. 55 तादादी 50 गुणा 100 वर्गफुट था उक्त अहाता में से पूर्व दिशा 50 गुणा 50 वर्गफुट हिस्सा भूपराम को बेचान कर दिया। शेष पश्चिम दिशा के आधा हिस्सा पर सविन्द्र सिंह का कब्जा है जिसमें उसका रिहायशी मकान बना हुआ है। दोनों प्लाटो के मध्य दीवान निकाली हुई थी। प्लाट के आधा हिस्सा पर कब्जा होने का फायदा उठाकर वह विवादित प्लाट पर भी स्थगन आदेश की अवहेहना कर कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण ने एकराय होकर अपराधिक बल का प्रयोग करते हुए न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2024 की खुली अवहेलना की व आश्य विवादित प्लाट की चार दीवारी तोड़ कर उसमे रखा सामान चोरी कर ले गऐ। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आदेश 39 नियम 2ए के तहत स्थगन आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश का बखूबी ज्ञान था। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिए दो माह के सिविल कारावार से निरूद्ध करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा निगरानीधीन प्लाट में दिनांक 23.05.2024 को रात्रि के समय कोई दीवार नहीं तोड़ी गयी। प्रार्थी द्वारा चोरी का मनगढ़त तथ्यों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अप्रार्थी सं. 3,4,7,8 जिस समय की घटना बताई गई है मौका पर मौजूद नहीं थे क्योंकि अप्रार्थी सं. 3 व 4 सरकारी अध्यापक है जो दिनांक 23.05.2024 को सूरतगढ़ से सांय 8 बजे रेलगाड़ी द्वारा जयपुर के लिए रवाना हो गऐ जो अपने गांव से दोपहर 4 बजे सूरतगढ़ के लिए रवाना हो गऐ थे। प्रार्थी स्वयं रायसिंहनगर के वार्ड नं. 12 में पिछले 15–20 वर्षों से निवास कर रहा है और जिसने 15–20 वर्षों से कोई सामान अप्रार्थीगण के प्लाट में नहीं रखा तो चारी का मुकदमा किस आधार पर अप्रार्थीगण पर किया है की जांच की जा रही है। ना तो 17/18.01.1996 को भूपराम को निगरानीधीन प्लाट का कब्जा दिया गया व ना ही राजाराम को और ना ही रमेश कुमार को मात्र फर्जी व कूटरचित बैयनामा मिलीभगत कर करवाया गया था। अप्रार्थी सलविन्द्र सिंह व उनके वारिस उक्त प्लाट में जब से आवंटन हुआ है तब से सपरिवार निवास कर रहे है। दीवानी प्र.सं. 35/23 में मात्र प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है वाद पत्र जैरकार है। राजाराम व भूपराम द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज बैयनामा के अलावा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता कि राजाराम व भूपराम ने कभी भी उक्त अहाता में निवास किया हो या ऐसा निर्माण किया हो जिससे यह साबित होता हो कि राजाराम व भूपराम का कभी कब्जा रहा हो व कोई दीवार बनाई गई हो। सलविन्द्र सिंह के द्वारा कभी भी निगरानीधीन प्लाट का बेचान नहीं किया गया है। बैयनामा की लिखापढ़ी 17.01.1996 को करवाई गई है व बैयनामा का पंजीयन दिनांक 18.01.1996 को करवाया गया है यानि बैयनामा पंजीयन के समय सलविन्द्र सिंह उपस्थित नहीं था जिसकी गैर मौजूदगी में फर्जी तरीके से बैयनामा करवाया गया है। जिसका मुकदमा अप्रार्थी द्वारा करवाया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 108/2024 पीएस समेजा कोठी में दर्ज करवाई गई है। जिसकी जांच की जा रही है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 सरकारी अध्यापक के पद पर अपने कार्य स्थल पर अपनी अपनी पत्नीयों सहित निवास करते है व अप्रार्थी सतपाल सिंह भी नौकरी करता है जो अक्त बाहर अपनी पत्नी सहित निवास करते है। मात्र सलविन्द्र सिंह व उसकी पत्नी ही उक्त प्लाट में निवास करते है जो 65–70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो चलने फिरने में भी असर्मथ है जिन्होने न्यायालय के आदेशों की पूर्ण रूप से ससम्मान पालना करते हुए अपने प्लाट में निवास कर रहे है किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय के आदेशों की अवमानना हुई हो। प्रार्थी राजाराम ना तो कभी उक्त प्लाट में रहा और ना ही कभी कोई प्लाट में चार दीवारी की जिस तोड़ दिया हो। राजाराम द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस वर्ष में दीवार की जिसे तोड़ दिया हो। राजाराम 53 एनपी गांव में पिछले 15–20 वर्षों से निवास नहीं कर रहा है। अपने निवास के संबंध में कोई भी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है ना ही ग्राम पंचायत या ग्राम निवास का रिकार्ड पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकीय उभयपक्ष प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना की गयी है अतः अप्रार्थीगण को तीन मास के सिविल कारावार से दण्डित किया जावे इसके विरूद्ध अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण के विरूद्ध मुदकमा दर्ज करवाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेशों की अवमानना नहीं की गयी हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय द्वारा अपने प्र.सं. 01/2024 सलविन्द्र बनाम भूपराम आदि निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज.पंचा. अधि. में आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2024 के द्वारा आदेश पारित किये गये थे कि उभयपक्ष निगरानी के निसतारण तक विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत 48 एनपी बगीचा की आबादी ग्राम 53 एनपी के भूखण्ड सं. 55 की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। न्यायालय द्वारा उक्त आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि निगरानी के विचारण के दौरान भूखण्ड की यथास्थिति रखी जानी आवश्यक है ताकि और वाद विवाद नहीं हो।

5. प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.05.2024 को रात्रि के समय प्लाट में घुसकर चार दीवारी को तोड़ा गया और प्लाट में रखा सामान चोरी किया गया हैं जिससे न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवमानना हुई है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में दर्ज करवाई गयी एफआईआर सं. 115/24.05.2024 पुलिस थाना समेजा कोठी की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी सं. 3,4,7,8 मौका पर नहीं थे अप्रार्थी सं. 3 व 4 जयपुर के लिए रवाना हो गये थे अप्रार्थीगण के द्वारा छायाप्रति रेल टिकट अप्रार्थी सं. 3–4 सूरतगढ़ से जयपुर दिनांक 23.05.2024 की प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के अहाता पर कब्जा से भी इंकार किया गया है।

6. चूंकि अवमानना प्रकरण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसलिए इसके कथनों को सिद्ध करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा कोई गवाह आदि का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेशों की अवमानना की गयी हो। प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज करवाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति भी प्रस्तुत नहीं की है कि क्या अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र अपने पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर R.A.S
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़